कार्यकारी सारांश

राजस्थान में देश के भू-भाग का दसवां और जनसंख्या का पांच प्रतिशत हिस्सा है, तथापि, सतही जल संसाधनों में इसकी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम है। राज्य की आबादी के लिए कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। राज्य की कुल सिंचित भूमि का 69 प्रतिशत नलकूपों और खुले कुओं के माध्यम से सिंचित है, जिससे भूजल पर भारी दबाव पड़ता है। इसके विपरीत कुल विशुद्ध सिंचित क्षेत्र में सतही सिंचाई का हिस्सा केवल 31 प्रतिशत था। इसलिए, सतही जल का सर्वोत्तम उपयोग, राज्य में अत्यधिक महत्व रखता है। राज्य में क्रियान्वित की जा रही सतही सिंचाई परियोजनाओं में प्राप्त परिणामों का आंकलन करने के लिए 'सतही सिंचाई के परिणामों' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

हमने परियोजनाओं की आयोजना में कमियों को पाया। त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षणों के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभावों के साथ कार्य प्रारंभ करने के उपरांत डिजाईनों में संशोधन हुआ। भूमि अधिग्रहण में देरी (तीन से 19 वर्ष) के परिणामस्वरूप ₹ 33.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1.1 से 3.1.2)

परियोजनाओं में तीन से 39 वर्षों की देरी हुई। सभी चयनित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई थी, जो 2 से लेकर 3,536 प्रतिशत के बीच थी।

(अनुच्छेद 3.2 से 3.3)

निर्माण पूर्व अपूर्ण सर्वेक्षण और अनुसंधान के कारण, तीन परियोजनायें अव्यवहार्य हो गई।

(अनुच्छेद 3.4)

पाँच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल परिकल्पित और आरक्षित जल से बहुत कम था और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित स्तर तक पेयजल का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका। दो परियोजनाओं में आवश्यकता से अधिक जल छोड़ा गया, जिसके कारण जलभराव और लवणता की संभावना बनी रही।

(अनुच्छेद 3.5.2.2 और अनुच्छेद 3.5.2.3)

लेखापरीक्षा के दौरान आसपास के काश्तकारों द्वारा नहर से जल का अनाधिकृत उठाव किया जाना दृष्टिगत हुआ।

(अनुच्छेद 3.5.2.4)

राजस्थान राज्य भागीदारी सिंचाई प्रबंधन में जल उपयोगकर्ता संघों के गठन की शुरूआत करने में अग्रणी था, यद्यपि जल उपयोगकर्ता संघों ने अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं किया, जिसके कारण परियोजनाओं में अप्रभावी संधारण और प्रबंधन बना रहा। बांधों से रिसाव, नहरों में क्षति, नहरों में गाद और वनस्पति देखी गई, जिसकी वजह से अपेक्षित लाभ प्रदान करने में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हुई।

(अनुच्छेद 4.2 से 4.3)

परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सम्बंधित विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। परियोजना के परिणामों के नियमित पर्यवेक्षण या विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं था।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण तथा परियोजनाओं की उपलब्धि का आंकलन करने का प्रयास किया।

चार परियोजनाओं में ₹ 455.76 करोड़ के निवेश के बाद भी कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। तीन परियोजनाओं में सृजित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि अन्य परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग 2.28 से 68.21 प्रतिशत के बीच में था। इस प्रकार, परियोजनाएं परिकल्पित लाभ प्रदान नहीं कर सकीं जबकि लागत में कई गुना वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 5.1)

राष्ट्रीय जल नीति यह निर्धारित करती है कि जल संसाधन विकास परियोजनाओं को जहां तक संभव हो पीने के जल के प्रावधान के साथ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में नियोजित और विकसित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात में से केवल तीन परियोजनाओं में इच्छित लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। एक परियोजना में लाभार्थियों को कोई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया था और अन्य तीन परियोजनाओं में केवल लाभार्थियों के एक हिस्से तक इसे पहुँचाया जा सका।

(अनुच्छेद 5.2)

नियत उपज प्राप्त करने के लिए अनुमानों के अनुसार फसल पद्धति को सुनिश्चित नही किया गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित फसल के पद्धति/प्रौद्योगिकी/उन्नत बीजों इत्यादि के बारे में परियोजना विशिष्ट प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.3)

वृक्षारोपण के लिए केवल 65 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य अर्जित किये गये।

(अनुच्छेद 5.5)

प्रारंभिक सर्वेक्षण अभिलेख, भूजल के संबंध में आंकड़ें और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के पूर्व की अवधि के लिए राजस्व और परियोजना विशिष्ट फसल उपज जैसी महत्वपूर्ण पत्रावलियां लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। विभाग के पास आंकड़ों एवं वांछित अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, लेखापरीक्षा परियोजनावार व्यापक परिणामों का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगा सकी।

(अनुच्छेद 5.7)